राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ. 23(6)खावि/भण्डार/2013 पार्ट–II जयपुर, दिनांक : 06/12/2023

–: सीमित बोली :–

विभाग में राज्य कार्यों के संपादन के लिए कार्यालय उपयोग हेतु विभिन्न कम्प्यूटर्स के प्रिन्टर के लिए समय–समय पर आवश्यकतानुसार टोनर रिफिल कराये जाने एवं संबंधित अन्य खराब सामान (संलग्न सूची) बदलने आदि के लिए दरें निर्धारित करने हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती हैं। आप संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में सामग्री/वस्तु की किस्म/मार्का एवं दरें इत्यादि अंकित कर सीमित बोली दिनांक 14.12.2023 को दोपहर 03.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सील बन्द लिफाफे में जमा करा सकते हैं। उक्त बोली कमेटी द्वारा अगले दिवस सांय 4:00 बजे उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

5/12/23
(रामस्वरूप)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन
सचिव (खाद्य)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विभागीय प्रोग्रामर को SPPP पोर्टल तथा विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु।
2. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन
सचिव

D:\Yatendra\2022/store2022\Letters, 2022

–: बोली प्रपत्र :–

श्रीमान उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय :– टोनर रिफिल करवाने एवं खराब पार्ट बदलने बाबत।

महोदय,

हमारी फर्म की दरें एवं वांछित सूचनाऐं निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1. फर्म का नाम एवं पता:–
2. फर्म का बैंक खाता संख्या एवं बैंक ब्रांचः–
3. फर्म का पेन (PAN) नम्बर :–
4. फर्म की ई–मेल आई.डी. यदि है तो :–
5. फोन/मोबाईल नम्बर :–
6. फर्म की दरें संलग्न सूची अनुसार प्रस्तुत है।
7. फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर
8. फर्म सीमित बोली सूचना में अंकित बिन्दुओं सहित बोली (अनुबन्ध) की सभी शर्तों को स्वीकार करती है।

स्थान :–

दिनांक :–

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

रविन्द्र जैन

विभिन्न प्रिन्टर्स के टोनर पार्टस से संबंधित खराब सामान के स्थान पर अच्छा सामान लगवाये जाने के संबंध में सूची :–

क्र.सं.	नाम प्रिन्टर	पार्टस का नाम	फर्म का नाम			
			मार्का / मेक	दर	GST %	कुल दर मय जीएसटी
1	HP 500 MFP Tonar No. 55A	Drum				
		PCR				
		Magnet Roll				
		Blade				
		Bush				
2	HP 400 PRO Tonar No. 80A	Drum				
		PCR				
		Magnet Roll				
		Blade				
		Bush				
3	HP 1020 Tonar No. 12A	Drum				
		PCR				
		Magnet Roll				
		Blade				
		Bush				
4	HP 5166 Tonar No. 78A	Drum				
		PCR				
		Magnet Roll				
		Blade				
		Bush				
5	Canon LBP 2900 (103/303/703)	Drum				
		PCR				
		Magnet Roll				
		Blade				
		Bush				
6	HP Laserjet 1319 MFP-12A	Drum				
		PCR				
		Magnet Roll				
		Blade				
		Bush				

7	HP 1213 NF-81A	Drum				
		PCR				
		Magnet Roll				
		Blade				
		Bush				
8	HP 1005 MFP-12A	Drum				
		PCR				
		Magnet Roll				
		Blade				
		Bush				
9	HP M233dw MFP Laser jet printer	Drum				
		PCR				
		Magnet Roll				
		Blade				
		Bush				
10	HP 4104fdw MFP Laser jet printer pro	Drum				
		PCR				
		Magnet Roll				
		Blade				
		Bush				
11	Canon mf 244dw, Canon LBP F173700 cartidge 337 starter	Drum				
		PCR				
		Magnet Roll				
		Blade				
		Bush				

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदा की शर्ते

1. सफल बोली दाता फर्म को कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर 500/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निस्पादित करना होगा।
2. कार्यालय में टोनर रिफिल आदि के कार्यों को समय पर संपादित करवाने के लिए संबंधित व्यक्ति/फर्म को आवश्यकतानुसार शीघ्र बुलाये जाने पर कार्यालय में अपनी उपस्थिति देनी होगी।
3. टोनर रिफिल की गुणवत्ता स्वच्छ एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए।
4. टोनर रिफिल के लिए कार्य दिवस में अनिवार्य रूप से प्रत्येक स्थिति में उपस्थित होना अनिवार्य है तथा राजकार्यों की आवश्यकता को देखते हुए कार्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात् अथवा राजकीय अवकाशों में भी सेवाएं देनी होगी।
5. टोनर रिफिल में गड़बड़ी होने पर (टोनर रिफिल खराब होने अथवा व्यक्ति के उपस्थित नहीं होने) या अन्य कोई कारणवश टोनर नहीं चलने की स्थिति में विभाग को यदि बाजार से प्रिन्ट करवाना पड़ता है तो वह राशि बोलीदाता से वसूल की जावेगी तथा बोलीदाता (फर्म) से पेनल्टी उसको देय भुगतान में से काटकर वसूल की जावेगी।
6. बोली दरें कार्यादेश जारी करने की तिथि से 01 वर्ष के लिए मान्य होंगी। कार्य संतोषजनक होने पर RTPP Rule – 2013/सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार परस्पर सहमति से समयावधि बढ़ायी जा सकेगी।
7. टोनर रिफिल से संबंधित कार्य संपादित करने के बाद में फर्म/व्यक्ति द्वारा विभाग का कोई भी राजकीय सामान आदि कार्यालय से बाहर नहीं ले जाया जावेगा।
8. बोलीदाता (फर्म)/व्यक्ति टोनर रिफिल इत्यादि का कार्य करते समय होने वाली जन–धन की हानि सेवा प्रदाता द्वारा वहन की जावेगी।
9. यदि टोनर रिफिल का कार्य संतोषप्रद नहीं रहता है तो विभाग को बोलीदाता (फर्म) का अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा।
10. टोनर्स के पार्ट खराब होने पर आवश्यक होने पर सूची के अनुसार (स्पेशीफिकेशन के अनुसार) बदले जायेंगे।
11. फर्म को अनुमोदित दरों पर कार्य सम्पादित करना होगा तथा उक्त आदेश की दरों के अनुसार ही बिल बनाकर विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
12. किसी भी कानूनी विवाद के लिए जयपुर स्थित कार्यालय/न्यायालय में ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।
13. यदि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि से पूर्व अनुबंधित सेवाएं स्वेच्छा से समाप्त की जाती है तो द्वितीय पक्ष को दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी।
14. प्रथम पक्ष द्वारा कार्य के किसी भी भाग या सम्पूर्ण कार्य को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
15. अनुबंध की सभी शर्तों के संबंध में द्वितीय पक्ष का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। अनुबंध के Execution के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण Arbirtation and Conciliation Act के तहत रैफर किया जावेगा। द्वितीय पक्ष को इसके लिए Sole arbirator नियुक्त करने की पूर्ण शक्तियां प्राप्त होगी, जिसकी नियुक्ति पर आया समस्त व्यय दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।
16. दर संविदा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में वर्णित नियमों एवं RTPP नियम के अन्तर्गत मान्य होगा।
17. बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा।
18. बोली मे भाग लेने वाली फर्म को आर.टी.पी.पी के नियम 42 के अनूसार 2 प्रतिशत बिड सिक्यूरिटी व बोली मे सफल फर्म को आर.टी.पी.पी के नियम 75 के अनुसार 5 प्रतिशत परफोरमेन्स सिक्यूरिटी जमा करवानी होगी।

रविन्द्र शर्मा

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
राजस्थान, जयपुर।